

न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम 2, अजमेर (राज.)
पीठासीन अधिकारी - विकाससिंह चौधरी, आर.जे.एस.
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)
जमानत प्रार्थना पत्र सी.आई. एस. संख्या 268/2026

1- शैतानसिंह पुत्र उत्तमसिंह, उम्र-43 वर्ष, निवासी ग्राम पोस्ट सगरा पुलिस थाना देचू जिला जोधपुर हाल केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर।

--प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम
राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक, अजमेर -- अभियोगी

जमानत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 483 भा.ना. सु. स.
प्रथमसूचना रिपोर्ट संख्या 104/22 पुलिस थाना कोतवाली
अपराध अंतर्गत धारा 420, 409, 120 बी भा.द.स.
फौजदारी प्रकरण संख्या 6136/25 सरकार बनाम विक्रम व अन्य

उपस्थित

- 1- श्री मनीष खण्डेलवाल, विद्वान अधिवक्ता, प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
- 2- श्री अशोक अग्रवाल, अपर लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।

आदेश दिनांक 13-03-2026

1- प्रार्थी/अभियुक्त शैतानसिंह की ओर से अधीनस्थ न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अजमेर के समक्ष दिनांक 07-03-2026 को प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 480 भा. नागरिक सुरक्षा संहिता बाद सुनवाई अस्वीकार कर खारिज किया गया। इसके उपरान्त प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जरिये अधिवक्ता श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसकी प्रति लोक अभियोजक को दिलवाई गई। उक्त जमानत आवेदन पत्र अंतरित किया जाकर सुनवाई एवं निस्तारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। उभय पक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

2- बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क रहा है कि प्रार्थी निर्दोष है, उसे इस प्रकरण में झूठा लिप्त किया गया है। प्रार्थी से अब कोई बरामदगी शेष नहीं है तथा प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण होकर आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। उनका यह भी कथन रहा है कि परिवादिया जब राशि जमा करवायी गयी उस समय तथा भुगतान के समय प्रार्थी सोसायटी का अध्यक्ष नहीं रहा था। आरोपित अपराध आजीवन कारावास या मृत्युदण्ड से दण्डनीय अपराध नहीं है। उनका यह भी कथन है कि प्रार्थी के विरुद्ध अन्य प्रकरण 32/19 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन स्वीकार किया जा चुका है। प्रार्थी न्यायालय के आदेशानुसार जमानत मुचलके प्रस्तुत करने हेतु तैयार है। अंत में जमानत आवेदन स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

3- अपर लोक अभियोजक ने उक्त तर्कों का विरोध करते हुए जमानत आवेदन खारिज करने का निवेदन किया गया।

4- उभय पक्षों के तर्कों पर गंभीरतापूर्वक विचार किया गया। प्रकरण के सुसंगत तथ्य इस प्रकार से हैं कि परिवादी समुन्द्र सिंह राठौड़ ने विचारण न्यायालय में एक परिवाद इस

आशय का प्रस्तुत किया कि अभियुक्त द्वारा विभिन्न जमा योजनाओं में पैसा जमा करवाने हेतु परिवादी को उत्प्रेरित किया जिस पर विश्वास करते हुए उसके द्वारा अपने परिवार की पद संख्या दो में वर्णित विभिन्न राशियां निवेश की गयीं। उक्त निवेश की परिपक्वता पूर्ण होने पर शाखा में सम्पर्क किया तो आफिस बंद मिला व जानकारी करने पर पता चला कि अभियुक्तगण ने निवेशको द्वारा जमा कराये गये रूपयों का गबन कर उनके साथ धोखाधड़ी व छल कपट कर संस्था को बंद कर दिया है। दिनांक 16-12-19 तक उसके कुल 6,27,162/-रूपये बकाया है। आदि उक्त परिवार अनुसंधान हेतु पुलिस थाने पर प्रेषित किये जाने पर पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज किया जाकर बाद अनुसंधान प्रकरण में आरोप पत्र सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

5- पत्रावली के अवलोकन से जाहिर आता है कि प्रार्थी के विरुद्ध पूर्व में निम्न आपराधिक प्रकरण दर्ज रहा है।

| क्रम सं. | मुकदमा सं. | धारा | थाना | विवरण |
|----------|------------|----------------------------|------------|-------|
| 1 | 248/2010 | 406,409,420,120 बी भा.द.स. | क्लॉक टावर | - |
| 2 | 102/22 | 406,420,120 बी भा.द.स. | कोतवाली | - |

6- पत्रावली के अवलोकन से जाहिर आता है कि परिवादी को अपनी सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली राशि में से अपने व अपनी पत्नी के नाम से विभिन्न योजनाओं में निवेश किया था। जिनकी परिपक्वता पर राशि नहीं लौटाकर सोसायटी व उसके कर्मचारियों ने निवेशको के साथ छल कारित किया है। प्रार्थी के विरुद्ध धारा 420,409,120 बी भा.द.स. के अपराधों के आरोप हैं जो गम्भीर प्रकृति के रहे हैं। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/ अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

7- फलतः प्रार्थी /अभियुक्त शैतानसिंह पुत्र उत्तमसिंह की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(विकास सिंह चौधरी)

अपर सेशन न्यायाधीश क्रम 2, अजमेर

8- आदेश आज दिनांक 13-03-2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास सिंह चौधरी)

अपर सेशन न्यायाधीश क्रम 2, अजमेर